L. A. BILL No. XXV OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २५ सन् २०२१।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था ;

सन् १९६१ का महा. २४। सन् २०२१ का महा. अध्या. क्रमांक ९।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०२१, २ नवम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था ;

(शा.म.मु.) एचबी १५४५—१ (५०—१२-२०२१)

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर हैं ; अतः भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) यह २ नवम्बर २०२१ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ ककक में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहां गया है) की धारा ७३ ककक की, उप-धारा (३) में, — सन् १९६१ का महा. २४।

"(एक) विद्यमान परंतुक के पूर्व, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा और २४ मार्च २०२० से निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

परंतु, यदि समिति के निर्वाचित सदस्यों की तथा उनके पदधारियों की पदावधि अवसित हो चुकी है, और यदि संस्था की समिति का निर्वाचन, कोविड-१९ महामारी को ध्यान में रखते हुए, राज्य में तालाबंदी लागू करने के कारण नहीं किया जा सका है, सरकार द्वारा समय-समय पर, जारी किये गये आदेशों या संस्था के समिति के सदस्यों को जिम्मेदार नहीं किया जाएगा ऐसे किसी कारणों के लिए निर्वाचन लिया नहीं जाता है, जब तक समिति के ऐसे सदस्यों और पदधारियों की नयी समिति सम्यक्तया गठित नहीं होती है तब तक समिति के विद्यमान सदस्य और पदधारी के रुप में आगे बने रहे समझे जायेंगे :";

(दो) विद्यमान परंतुक में, " परंतु " शब्द के स्थान में "परंतु आगे यह कि" शब्द रखे जायेंगे।

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति।

३. मूल अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, ड़िक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समिति या समिति के सदस्यों और उसके पदधारियों द्वारा मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों या आदेशों या उप-विधियों द्वारा कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही या जारी किया गया कोई आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२१ द्वारा यथा संशोधित धारा ७३ककक की उप-धारा, (३) के प्रथम परंतुक के उपबंध यदि सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन निरंतर थे ऐसा मानकर विधि के अनुसरण में वैध ढंग से कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी किये गये समझे जायेंगे। सन् २०२१ का महा.।

सन् २०२१ का महा. अध्या क्र. ९ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

४. (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०२१, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र.९।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

कोविड-१९ महामारी प्रकोप के कारण राज्य में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ चूँकि देश में तालाबंदी की घोषणा होने से २४ मार्च २०२० से बंद हुई थी। राज्य में सहकारी संस्थाओं के क्रियाकलाप भी तालाबंदी के कारण प्रतिकूल रुपसे बाधित हूए हैं, और इसलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) और तद्धीन विरचित नियमों में यथा उपबंधित विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सहकारी संस्था की समिति के निर्वाचन करना संभव नहीं हुआ था। इसलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०२० (सन् २०२० का महा. अध्या. क्र. १२) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ७३गख की उप-धारा (१५) में तृतीय परंतुक निविष्ट किया गया था जिसमें उक्त अध्यादेश के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व जिन संस्था के समिति के निर्वाचन करना नियत था परंतु जिनके निर्वाचन नहीं लिये गये थे ऐसी संस्थाओं के समितियों का निर्वाचन लेने की समय सीमा बढाने का उपबंध किया हैं।

२. उक्त अधिनियम की धारा ७३ककक की उप-धारा (३) यह उपबंध करती हैं कि, समिति का अवधि अवसित होनेपर ऐसी समिति के सदस्य, समिति के सदस्य के रुप में उनके पद रिक्त समझे जायेंगे। उक्त अध्यादेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ७३ककक की, उप-धारा (३) में परन्तुक जोड़ा गया था जो यह उपबंध करता है कि, संस्था की समिति का निर्वाचन, ऐसी संस्था के समिति के सदस्यों को जिम्मेवार नहीं किया जाएगा ऐसे किसी कारणों के लिए निर्वाचन नहीं किया जा सका है तो जब तक नयी समिति सम्यकतया गठित नहीं होती है तब तक समिति के विद्यमान सदस्य आगे बने रहे समझे जायेंगे। उक्त अध्यादेश महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ सन् २०२० में परिवर्तित हुआ था।

उक्त अधिनियम ही धारा ७३ककक की उप-धारा (३) का उक्त परंतुक, उक्त अध्यादेश के महाराष्ट्र शासन **राजपत्र** में प्रकाशन के दिनांक से अर्थात् १० जुलाई २०२० से प्रवर्तन में आयेगा। इसे ध्यान में रखते हुए, समिति के सदस्यों और उसके पदधारियों जिनकी पदावधि १० जुलाई २०२० को या के पश्चात् पहले से ही अवसित हो चुकी है को नई समिति सम्यकतया गठित होने तक समिति के सदस्य के रुप में, कायम रहने की सुरक्षा प्राप्त हो सकें। तथापि, समिति के वह सदस्य और उनके पदधारी जिनकी पदावधि १० जुलाई २०२० के पूर्व पहलेसे ही अवसित हो चुकी है, उन्हे नई समिति सम्यकतया गठित होने तक समिति के सदस्य के रुप में कायम रहने की सुरक्षा नहीं प्राप्त हो सकी।

उक्त अधिनियम की धारा ७७क के साथ पठित धारा ७३झ के उपबंधों के कारण भी, जहाँ, समितियाँ उसके सदस्यों की पदावधि अवसित हो चुकी है के मामले में, रजिस्ट्रार, या तो **स्व-प्रेरणा** से या संस्था के किसी अधिकारी या सदस्यों के आवेदन पर, नई समिति गठित होने तक संस्था के कामकाज का प्रबंध करने के लिए संस्था के तीन सदस्यों से अनधिक सदस्यों की, या एक या अधिक प्राधिकृत अधिकारियों से मिलकर एक समिति नियुक्त करेगा।

ऐसी संस्थाओं की संख्या बडी होने के कारण ऐसी संस्थाओं के कामकाज का प्रबंध करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ती करना यह व्यावहारिक रुप से संभव नहीं है और सहकार क्षेत्र के हित में भी नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के नियुक्ति की ऐसी कई कार्यवाही में, न्यायालय में मामले उद्भूत हो सकते हैं।

३. इसलिए, कोविड-१९ महामारी के कारण राज्य में, लागू प्रथम तालाबंदी २४ मार्च २०२० के दिनांक से उक्त अधिनियम की धारा ७३ककक की उप-धारा (३) के विद्यमान परंतुक के पूर्व एक परंतुक की निविष्टि द्वारा यह उपबंध करना इष्टकर समझा गया था कि यदि, समिति के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदधारियों की पदावधि अवसित हो चुकी है और यदि कोविड-१९ महामारी को देखते हुए राज्य में तालाबंदी लागू होने के कारण संस्था की समिति का निर्वाचन नहीं किया गया है, सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी किये गये आदेशों या संस्था के समिति के सदस्यों को जिम्मेवार नहीं किया जायेगा ऐसे किसी कारणों के लिए निर्वाचन लिया नहीं जाता है तो जब तक नई समिति सम्यकतया गठित नहीं होती है तब तक समिति के सदस्य आगे बने रहे समझे जायेंगे।

४. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०२१ (सन् २०२१ का महा. अध्या. क्रमांक ९) २ नवम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित १२ नवम्बर, २०२१।

बाळासाहेब पाटील,
सहकार मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित १ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई